

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिकी  
(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकांत व्यास आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 25/2023 राजस्व वाद



उनवान

1- भागचन्द पुत्र सुखदेव कटवाल निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- देवकरण पुत्र रामा कटवाल निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- नारायण लाल पुत्र सुखदेव कटवाल निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- बाली देवी पत्नी नारायण कटवाल निवासी घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
उपस्थित:- श्री के.के.जीनगर (अधिवक्ता वादी)

## निर्णय

दिनांक 05.03.2025

आज दिनांक 05.03.2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम घरटा प0ह0 घरटा भू अ.नि. डाबला तहसील बनेड़ा में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 167 के आराजी सं. 1390 , 181 , 1819 , 1820 , 190 कुल किता-05 रकबा 2.8075 है0 एवं खाता संख्या 192 का खसरा संख्या 1330 रकबा 0.3162 है0 एवं खाता संख्या 182 , 191 कुल खसरा 02 रकबा 1.4669 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिकी का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है:-

1- भागचन्द पुत्र सुखदेव हिस्सा पूर्ण जाति कटवाल सा. देह के नाम दर्ज की जावे -

क्र. सं.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	182/1	0.2149 है0	बारानी द्वितीय	0.93
2	191/1	0.1518 है0	खादी	1.80
कुल किता	02	0.3667 है0	-	2.73

M.

2- (1) नारायणलाल पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/3 जाति कटवाल सा. देह (2) बाली देवी पत्नि नारायण हिस्सा 2/3 जाति कटवाल सा जवाहरनगर भीलवाडा

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	182/2	0.6956 है0	बारानी द्वितीय	3.03
2	181/2	0.4046 है0	खादी	4.80
कुल किता	02	1.1002 है0	-	7.83

3- भागचन्द पुत्र सुखदेव हिस्सा पूर्ण जाति कटवाल सा. देह के नाम दर्ज की जावे -

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1330/1	0.1581 है0	नहरी द्वितीय	1.69
कुल किता	01	0.1581 है0	-	1.69

4- (1) नारायणलाल पुत्र सुखदेव हिस्सा पूर्ण जाति कटवाल सा. देह

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1330/2	0.1581 है0	नहरी द्वितीय	1.69
कुल किता	01	0.1581 है0	-	1.69

5- नारायणलाल , भागचन्द पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/2 कटवाल , रामप्रसाद , सांवरमल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह उक्त खाता सामलाति है

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1011	0.0379 है0	गेमु बाडा	-
कुल किता	01	0.0379 है0	-	-

6- भागचन्द पुत्र सुखदेव हिस्सा पूर्ण जाति कटवाल सा. देह के नाम दर्ज की जावे -


क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1390/1	0.0695 है0	नहरी द्वितीय	0.75
2	181/1	0.1012 है0	गेमु. पाल	0.75
3	1819/1	0.5186 है0	नहरी द्वितीय	5.54
4	190/1	0.0126 है0	नहरी द्वितीय	0.13
कुल किता	04	0.7019 है0	-	6.42

7- (1) देवकरण पुत्र रामा हिस्सा 2/3 पूर्ण जाति कटवाल सा. देह, (2) नारायणलाल पुत्र सुखदेव हिस्सा 1/3 जाति कटवाल सा. देह. के नाम दर्ज की जावे -

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1390/2	0.2087 है0	नहरी द्वितीय	2.22
2	181/2	0.0253 है0	गे.मु.पाल	2.22
3	1819/2	0.2022 है0	नहरी द्वितीय	2.16
4	1820	1.5808 है0	बीड बंजड	2.81
5	190/2	0.0886 है0	नहरी द्वितीय	0.95
कुल किता	05	2.1056 है0	-	8.14

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 03 के मध्य क्रम संख्या 1 से 7 अनुसार रहेगा तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को प्रेषित हो।


बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 05 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

  
(श्रीकान्त व्यास)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, बनेड़ा (भीलवाडा)

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार बनेड़ा को मय प्रमाणित सुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव के पालनार्थ प्रेषित है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, बनेड़ा (भीलवाडा)

